...ालय तालुका विधिक सेवा(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या–02)केकड़ी
राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 मुकाम भिनाय
प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./72/2022

1. कानसिंह पुत्र स्व0 बंशी जाति दरोगा निवासी बड़गांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर
2. बालकिशन पुत्र स्व0 बंशी जाति दरोगा निवासी बड़गांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर
3. मंजू देवी पुत्री स्व0 बंशी जाति दरोगा निवासी बड़गांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर
4. सत्यनारायण पुत्र स्व0 बंशी जाति दरोगा निवासी बड़गांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर

प्रार्थीगण

बनाम

1. विष्णु शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी बड़गांव(सुरखण्ड) तहसील भिनाय अजमेर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय अजमेर

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामणिया
2. वकील अप्रार्थी– शिवकुमार जोशी
3. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक– 13.08.2022

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बड़गांव पटवार क्षेत्र बड़गांव भू0अ0नि0 क्षेत्र कनेईकलां के खाता सं0 675 में दर्ज ख0न. 645 रकबा 0.13 कुल किता 01 कुल रकबा 0.13 हैं0** जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं0 01 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 02 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं0 01 की ओर से वकील श्री शिवकुमार जोशी के द्वारा पत्रावली में वकालतनामा पेश कर, जवाब पेश किया गया। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार प्रार्थना पत्र में जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण राष्ट्रीय लोक अदालत–2022 के तहत पेश हुआ। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने पत्रावली में वर्णित कथनों को दोहराते हुए, प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि प्रश्नगत वर्णित आराजी में प्रार्थीगण बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि की स्वामी नहीं होकर स्वयं के हिस्से तक भूमि के अधिकारी है, जिसका वर्तमान विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है। वकील वादी द्वारा स्वीकार किया गया कि,

Signature Not Verified
Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:31:25 IST
Reason: SelfAttested

अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

उपखण्ड अधिकारी,
भिनाय (अजमेर) राज.

Scanned with CamScanner

प्रार्थना–पत्र में वर्णित आराजी में प्रार्थीगण बतौर सहखातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि की तन्हा स्वामी नहीं होकर स्वयं के हिस्से तक भूमि के अधिकारी है, जिसका वर्तमान में विधिवत विभाजन नहीं हो रखा है। उपस्थित बेंच द्वारा पत्रावली में वर्णित तथ्यों तथा राजस्व रिकॉर्ड बाबत् संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बड़गांव(सुरखण्ड) का अवलोकन किया। राजस्व रिकॉर्ड बाबत् संलग्न राजस्व जमाबन्दी एवं वकील अप्रार्थी एवं पैरोकार सरकार के तर्कों, जवाब के अवलोकन एवं मनन उपरान्त बैंच सदस्यों द्वारा प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम अनुतोष योग्य ना होने से अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.08.2022 को बैंच सदस्यों द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास लोक अदालत में सुनाया गया।

(कविता राणावत)
अध्यक्ष
रा0 लोक अदालत
अध्यक्ष
लोक अदालत बैंच
(तालुका विधिक सेवा समिति)
केकड़ी, जिला-अजमेर

(प्रभात त्रिपाठी)
सदस्य
रा0 लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

Signature Not Verified

Digitally signed by Prabhat Tripathi
Date: 2022.10.05 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner